

## कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक 90 /पं0/स्व0भा0मि0(ग्रा0) /माडल ग्राम/पत्रा0/2024-25


दिनांक 06/04/2024

1. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0)
2. समस्त सचिव ग्राम पंचायत  
जनपद-अम्बेडकरनगर।

विषय:- स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतो में प्रत्येक नाली के अंत में ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज-2 के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत को माडल ग्राम बनाने के लिये उस ग्राम पंचायत की समस्त नाली के अन्त (आउटलेट) पर ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम जैसे फिल्टर चैम्बर, डकवीड पान्ड सिस्टम, वेस्ट स्टेबलाइजेशन प्लांट, कन्सट्रैक्टेड वेटलैण्ड एवं अन्य ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम का निर्माण अनिवार्य रूप से कराना आवश्यक है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अन्तर्गत चयनित समस्त ग्राम पंचायतो में प्रत्येक नाली के अंत में ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम का निर्माण अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति नहीं पायी जाती है तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
(अवनीश कुमार श्रीवास्तव)  
जिला पंचायतराज अधिकारी,  
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक /पं0/उपरोक्त/दिनांक/उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
3. उपनिदेशक(पं0) महोदय, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5. समस्त खण्ड प्रेरक द्वारा सहायक विकास अधिकारी(पं0), अम्बेडकरनगर को इस निर्देश से कि ग्राम पंचायतो में निर्मित समस्त ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम का जियो टैग ससमय अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

जिला पंचायतराज अधिकारी,  
अम्बेडकरनगर।

## कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक

/पं०/स्व०भा०मि०(ग्रा०) /माडल ग्राम/पत्रा०/2024-25

दिनांक ०६/०४/२०२४

1. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं०)
2. समस्त सचिव ग्राम पंचायत  
जनपद-अम्बेडकरनगर।

विषय:- स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक नाली के अंत में ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज-2 के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत को माडल ग्राम बनाने के लिये उस ग्राम पंचायत की समस्त नाली के अन्त (आउटलेट) पर ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम जैसे फिल्टर चैम्बर, डकवीड पान्ड सिस्टम, वेस्ट स्टेबलाइजेशन प्लांट, कन्सट्रैक्टेड वेटलैण्ड एवं अन्य ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम का निर्माण अनिवार्य रूप से कराना आवश्यक है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अन्तर्गत चयनित समस्त ग्राम पंचायतों में प्रत्येक नाली के अंत में ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम का निर्माण अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति नहीं पायी जाती है तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(अवनीश कुमार श्रीवास्तव)  
जिला पंचायतराज अधिकारी,  
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक १० /पं०/उपरोक्त/दिनांक/उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
3. उपनिदेशक(पं०) महोदय, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5. समस्त खण्ड प्रेरक द्वारा सहायक विकास अधिकारी(पं०), अम्बेडकरनगर को इस निर्देश से कि ग्राम पंचायतों में निर्मित समस्त ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम का जियो टैग ससमय अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

जिला पंचायतराज अधिकारी,  
अम्बेडकरनगर।